स्पेशल टास्क फोर्स, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

प्रेस नोट संख्याः 203, दिनांक 21—08—2020

अन्तर्राज्यीय स्तर पर मादक पदार्थ की तस्करी करने वाले 03 अभियुक्त लगभग 213 किलो ग्राम अवैध गांजा (अन्तर्राष्ट्रीय कीमत लगभग 12 लाख रूपये) सहित गिरफ्तार।

दिनांक 20—08—2020 को एस0टी0एफ0, उत्तर प्रदेश को जनपद मैनपुरी पुलिस के सहयोग से अन्तर्राज्यीय स्तर पर मादक पदार्थ की तस्करी करने वाले 03 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर, लगभग 213 किलो ग्राम अवैध गांजा (अन्तर्राष्ट्रीय कीमत लगभग 12 लाख रूपये) बरामद करने में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुई।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरणः

1— निवास विश्वास पुत्र नरायण विश्वास निवासी म0नं0—जे—682 गली नं0—2 साढे तीन पुस्ता करतार नगर थाना उस्मानपुर दिल्ली।
2— महेन्द्र सिंह पुत्र सत्यराम सिंह निवासी डी/60 सरूप विहार गली नं0—12 निकट ऑटो स्टैण्ड थाना सरूपनगर, नई दिल्ली।
3— राकेश गौर पुत्र श्रीचन्द गौर निवासी डी—110/4 गली नं0—5 गावडी एक्सटेन्शन भजपुरा थाना भजनपुरा दिल्ली।

गिरफ्तारी का दिनांक/समय व स्थान—

दिनांक 20—08—2020 समय 21.30 बजे, उपदेश सिंह डिग्री कालेज के सामने बन्द कोल्ड स्टोर के सामने खाली स्थान, बेवर—फर्रूखाबाद रोड थाना क्षेत्र बेवर जनपद मैनपुरी।

गिरफ्तार अभियुक्त से कुल बरामदगीः

1— लगभग 213 कि0ग्राम अवैध गांजा
2— 01 ट्रक अशोका लीलैण्ड नं0—यूपी—84टी/7468
3— 01 होण्डा अमेज कार नं0—यूपी—16सीटी/1122
4— 03 मोबाईल फोन।

एस0टी0एफ0, उत्तर प्रदेश को विगत काफी दिनों से आन्ध प्रदेश, उडीसा, छत्तीसगढ़ राज्यों से मादक पदार्थो की तस्करी करने वाले अपराधियों/तस्करों के सक्रिय होने की सूचनायें प्राप्त हो रहीं थी। इस सम्बन्ध में पुलिस महानिरीक्षक एस0टी0एफ0 उ0प्र0 द्वारा एस0टी0एफ0 की विभिन्न इकाईयों/टीमों को अभिसूचना संकलन एवं कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया था, जिसके अनुक्रम में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, एसटीएफ, उ0प्र0 लखनऊ एवं पुलिस अधीक्षक, एस0टी0एफ0, मेरठ के निर्देशन में एसटीएफ, फील्ड इकाई, गौतमबुद्धनगर की टीम द्वारा अभिसूचना संकलन की कार्यवाही की जा रही थी।

अभिसूचना संकलन के दौरान एसटीएफ फील्ड इकाई गौतमबुद्धनगर की टीम को जरिये मुखबिर सूचना मिली कि दिनांक 20.08.2020 को आन्ध्र प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ बार्डर से एक ट्रक में कुछ अवैध सामग्री की बड़ी खेप जनपद मैनपुरी के थाना बेवर क्षेत्र से होकर दिल्ली जाने वाली है। इस सूचना को विकसित करते हुए निरीक्षक श्री सचिन कुमार के नेतृत्व में एचसीपी मनीष उपाध्याय, कां0 भूपेन्द्र सिंह, कां0 मनीष कुमार, कां0 रोहित

कुमार व कां0 अमित कुमार की एक टीम गठित कर त्वरित कार्यवाही करते हुए थाना बेवर, जनपद मैनपुरी पुलिस को साथ लेकर मुखबिर द्वारा बताये गये स्थान पर पहुँचकर जनपद मैनपुरी के थाना बेवर क्षेत्रान्तर्गत उपदेश सिंह डिग्री कालेज के सामने बन्द कोल्ड स्टोर के सामने बेवर–फर्रूखाबाद रोड से उपरोक्त तीनों अभियुक्तों को समय लगभग 21.30 बजे गिरफ्तार कर लिया गया, जिनसे उपरोक्त बरामदगी हुई।

गिरफ्तार अभियुक्त निवास विश्वास उपरोक्त ने पूछताछ पर बताया कि वह वर्ष 2015 से गांजा के अवैध धन्धे में लिप्त है, उससे पहले भी वर्ष 2016 में फरीदाबाद, हरियाणा पुलिस ने उसे अवैध गांजा के साथ गिरफ्तार कर जेल भेजा था जिसमें वह लगभग 03 वर्ष जेल में रहा था। बताया कि जेल से छूटने के बाद वह पुनः आन्ध्र प्रदेश, उडीसा व छत्तीसगढ बार्डर पर अवैध गांजा का व्यापार करने वालों से अवैध गांजा खरीदता है तथा ट्रक में किसी अन्य सामान के साथ दिल्ली ले जाकर बेचता है तथा दिल्ली में इस अवैध धन्धे में लिप्त लोगों को फुटकर में सप्लाई करता है। यह गांजा भी वह नक्सल प्रभावित क्षेत्र आन्ध्र प्रदेश, उड़ीसा व छत्तीसगढ़ बार्डर से खरीदकर ट्रक में कच्ची हल्दी लोड कराकर, हल्दी के बीच में गांजा छिपाकर लेकर आया था। दिल्ली बार्डर पर ट्रक के पकड़े जाने के डर से मैनपुरी में ट्रक को रोककर अपनी कार से दिल्ली ले जाने वाला था। इस अवैध धन्धे में उसके साथ गिरफ्तार महेन्द्र सिंह व राकेश गौर भी संलिप्त रहते हैं। इस सम्बन्ध में इनके अन्य सहयोगियों के बारे में जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार उपरोक्त तीनों अभियुक्तों के विरूद्ध थाना बेवर जनपद मैनपुरी पर मु0अ0सं0ः 323/20 धारा 18/20/22/60 एनडीपीएस एक्ट पंजीकृत कराया गया है और अग्रिम आवश्यक विधिक कार्यवाही सम्बन्धित थाना द्वारा जा रही है।

****